संख्या 3883/9-आ-3-03-46 विविध/2003

प्रेषक,

श्री जे. एस. मिश्र,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, उत्तर प्रदेश।
2. उपाध्यक्ष समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
3. अध्यक्ष, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
4. नियन्त्रक प्राधिकारी, समस्त विनियमित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 लखनऊ, दिनांक 23 अगस्त, 2003

विषय : *आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरणों तथा नियन्त्रक प्राधिकारियों द्वारा अनुज्ञापित व्यक्तियों को लाईसेन्स जारी किए जाने हेतु आर्कीटेक्ट एक्ट, 1972 के प्राविधानों को लागू किया जाना।*

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार ने इस तथ्य की ओर ध्यानाकर्षण किया है कि आर्कीटेक्ट एक्ट, 1972 एक केन्द्रीय कानून है जो दिनांक 01.9.1972 से लागू है एवं इसका मुख्य प्रयोजन प्रैक्टिसिंग आर्कीटेक्टस के प्रोफेशनल आचरण को नियन्त्रित करना तथा सामान्य जनता को ऐसे अपात्र व्यक्तियों से संरक्षण दिलाना है जो अनाधिकृत रूप से आर्कीटेक्ट के रूप में कार्यरत हैं। उक्त एक्ट के प्राविधानों के अनुसार आर्कीटेक्ट की उपाधि के रूप में केवल वही व्यक्ति प्रैक्टिस कर सकता है जो काउन्सिल ऑफ आर्कीटेक्चर में पंजीकृत है। परन्तु इसके बाबजूद मानव संसाधन विकास मंत्रालय के समक्ष ऐसी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि स्थानीय अभिकरणों द्वारा लाईसेन्स जारी करने में आर्कीटेक्ट एक्ट, 1972 के प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है। अतः मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा उक्त एक्ट के प्राविधानों को लागू करने हेतु समस्त सम्बन्धित अभिकरणों को आवश्यक निर्देश जारी करने की अपेक्षा की गई है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 'नेशनल बिल्डिंग कोड में आर्कीटेक्ट, इंजीनियर, स्ट्रक्चरल इंजीनियर, टाउन प्लानर व सुपरवाइजर की अर्हताए एवं क्षमता सम्बन्धी गाईडलाइन्स दी गई है जिनके आधार पर उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा-57(डी) के अधीन आर्कीटेक्ट टाउन प्लानर, इंजीनियर, सर्वेयर, ड्राफ्ट्मैन आदि को भवन मानचित्र, जिलापूर्ति, ड्रेनेज एवं सीवरेज प्लान बनाने हेतु राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से बनाए गए बाई-लॉज के अनुसार लाईसेन्स जारी करने का अधिकार है। आर्कीटेक्ट एक्ट, 1972 के अनुसार ऐसा तकनीकी व्यक्ति जो अर्ह आर्कीटेक्ट नहीं है एवं काउन्सिल ऑफ आर्कीटेक्चर में पंजीकृत नहीं है, आर्कीटेक्ट की हैसियत से व्यवसाय नहीं कर सकता है। अधिनियम की धारा-39 के अर्न्तगत ऐसा करना एक दण्डनीय अपराध भी है। इसके अतिरिक्त काउन्सिल ऑफ आर्कीटेक्ट से पंजीकृत आर्कीटेक्चर को सम्पूर्ण भारतवर्ष में आर्कीटेक्ट के रूप में कार्य करने के लिए किसी अन्य स्तर पर पंजीकरण कराने अथवा लाईन्सेन्स लेने की भी आवश्यकता नहीं है।

3. उपर्युक्त के दृष्टिगत आर्कीटेक्चर प्रोफेशन के संरक्षण तथा जनसाधारण के हितों की सुरक्षा हेतु अपने प्राधिकरण क्षेत्र में कृपया आर्कीटेक्ट एक्ट, 1972 के प्राविधानों को प्रभावी ढंग से लागू कराए तथा अनाधिकृत रूप से आर्कीटेक्ट के रूप में प्रैक्टिस कर

रहे व्यक्तियों के विरूद्ध तत्काल आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(जे. एस. मिश्र)

संख्या : 3883 (1)/9–आ–3–2003 तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. श्री विनोद कुमार, रजिस्ट्रार, काउन्सिल ऑफ आर्कीटेक्ट, इण्डिया हैबिटाट सेन्टर, 6–ए, प्रथम तल, लादी रोड, नई दिल्ली।
2. संयुक्त सचिव, तकनीकी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सेकेण्डरी एवं हायर एजूकेशन विभाग, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को उनके पत्र संख्या एफ–17–6/2002–टीएस दिनांक 19.12.2002 के संदर्भ में।
3. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश के अवलोकनार्थ।
4. अध्यक्ष समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
5. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
6. अध्यक्ष यू.पी. रेडको लखनऊ।
7. अध्यक्ष , उत्तर प्रदेश आर्कीटेक्ट्स एसोशिएसन 350, सेक्टर–28 नोएडा, उत्तर प्रदेश।
8. अध्यक्ष, यू.पी. चैप्टर, इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ आर्कीटेक्ट्स लखनऊ।
9. अपर निदेशक, नियोजन, आवास बन्धु।

आज्ञा से,

(दिवाकर त्रिपाठी)

विशेष सचिव।